

सायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर विश्वनोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 94/2020
GCMSNo.- : 2020/00228

--: वादी :-

बनाम

--: प्रतिवादीगण :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर
जी जाति-कोली, निवासी शिवा
कालोनी नगरा अजमेर जिला
अजमेर।

1. दुर्गाराम पुत्र पेमाराम जाति
भाम्बी, निवासी निम्बेटी (रास)
तहसील जैतारण, जिला पाली।
2. ओगहराम पुत्र पेमाराम जाति
भाम्बी, निवासी निम्बेटी (रास)
तहसील जैतारण, जिला पाली।
3. तहसीलदार एवं उपपंजियन
अधिकारी महोदय, जैतारण जिला
पाली (राज)।

दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजुः-07/10/2020

उपस्थितः 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 23/06/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 3167 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा किस्म बाराणी दोयम की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादी 3/16 हिस्से यानि 2 बीघा 14 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है, मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामिल की दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे हैं, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीके साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एवं वादी की खन्दक/मेहबन्दी तारबन्दी को तोड़फोड़कर देते हैं एवं वादीको हर समय इसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते हैं। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज हैं एवं मनागना काशत करते चले आ रहे हैं। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 3/16 हिस्से यानि 2 बीघा 14 बिस्वा 04 बिस्वांशी हिस्से की भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग से कब्जा व काशत है, वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काशत व हिस्से व खातेदारी भूमि अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेष में तरमीम करने हेतु तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने से दिनांक 08.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने के अधिकारी है इसलिए यह दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काशत व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काशतकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काशत की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है, वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसीटी आफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 08.08.2020को वादीद्वारा प्रतिवादीगण कोवादी के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीको उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास द्वितीय (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 03 को बार बार आवाजें दिलाई गईं, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, पथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी व गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भीवगढ़ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी बरुबे राजस्व रेकॉर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 3167 में वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा०डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3167 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगद्दी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1172 दिनांक 24/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू०अ०/21/1257 दिनांक 03/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।


--: आदेश :-


अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3167 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बि स्वा	किस्म	लगान
1	महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर कौम कोली सा.शिवा कोलोनी नगर,अजमेर जिला- अजमेर खातेदार।	3167	02-14	बारानी दोयम	0.66
2	दुर्गाराम पुत्र पेमाराम हि.1/2,ओगड. राम पुत्र पेमाराम हि.1/2 कौम भाम्बी सा.निम्बेटी खातेदार।	3167/1	11-15	बारानी दोयम	2.95


सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


 सहायक कलेक्टर पदेन
 सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
 जिला-पाली (राज0)



निर्णय आज दिनांक 23/06/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


 सहायक कलेक्टर पदेन
 सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
 जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
जिलास:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- डॉ. भास्कर विश्णोई, आर0ए0एस0

:- वादी :-

बनाम

:- प्रतिवादीगण :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर जी
जाति-कोली, निवासी शिवा
कालोनी नगरा अजमेर जिला
अजमेर।

1. दुर्गाराम पुत्र पेमाराम जाति भाम्बी,
निवासी निम्बेटी (रास) तहसील
जैतारण, जिला पाली।
2. ओगडराम पुत्र पेमाराम जाति
भाम्बी, निवासी निम्बेटी (रास)
तहसील जैतारण, जिला पाली।
3. तहसीलदार एवं उपपंजियन
अधिकारी महोदय, जैतारण जिला
पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 94/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु व
हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर
हुक्म दिया जाता है कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक
वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम
रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील
जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की
जमीन खसरा नम्बर 3167 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि
में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन
निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर कौम कोली सा.शिवा कोलोनी नगर,अजमेर जिला- अजमेर खातेदार।	3167	02-14	बारानी दोयम	0.66
2	दुर्गाराम पुत्र पेमाराम हि.1/2,ओगड. राम पुत्र पेमाराम हि.1/2 कौम भाम्बी सा.निम्बेटी खातेदार।	3167/1	11-15	बारानी दोयम	2.95

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट
विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के
कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका
जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दपत्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व
शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा
करें।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2021 को जारी किया गया ।

मोहर



सहायक क्लर्क पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जेतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	10	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	10	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	10	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		

मिजान:-

05610

मिजान:-

N/A

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।